न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –95/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2025/104

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कन्हैयालाल पुत्र रामकरण, जाति–खाती, निवासी–सोमणा, तहसील–डेह, जिला–नागौर		तहसीलदार, डेह जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील आरूषी सोनगरा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :– 07.10.2025

1–अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार,डेह द्वारा प्रकरण संख्या 20/2024 अन्वान सरकार बनाम कन्हैयालाल प्रकरण दफा 91 एल.आर.एक्ट. में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2024 के विरूद्व पेश की हैं।

2–अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां उपस्थित हुवें।

3–वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि पटवारी हल्का,सोमणा द्वारा तहसीलदार साहब,डेह को इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि मौजा सोमणा के खसरा नम्बर 239 रकबा 0.072 है0 किस्म भूमि गै0मु0 गोचर पर हमारे द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा जरिये पक्का मकान व बाड़ा बनाकर किया हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में दफा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत हमारे विरूद्व प्रकरण दर्ज किया गया तथा इस प्रकरण में हमें नोटिस जारी किया जाना तथा बाबजूद तामिल अनुपस्थिति दर्ज करते हुवे जबाब एवं साक्ष्य का अवसर बंद करते हुए हमारे विरूद्व एक तरफा आदेश माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पारित कर जुर्माना एवं बेदखली के आदेश पारित किये हैं। जबकि हमारे विरूद्व न तो नोटिस जारी किया गया एवं न ही हमारी तामिल इस प्रकरण में हुई हैं। हमें जब नोटिस अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त ही नहीं हुआ तो हम कैसे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब पेश करते। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में हमारे विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुवे जो आदेश पारित किया गया हैं वह आदेश एक तरफा एवं विधि के विरूद्व पारित किया गया हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि हमारे रहवासी कदीमी मकान पीढ़ियों से बना हुआ हैं तथा इस मकान में विद्युत एवं पानी का कनेक्शन भी हमारे द्वारा लिया गया हैं। इसलिए हमारे विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में की गई एक तरफा कार्यवाही किसी प्रकार से सही नहीं हैं। इस

कलक्टर नागौर

कार्यवाही की हमें कोई जानकारी नहीं हैं। अभी हाल ही में पटवारी हल्का ने हमारे घर पर आकर हमारे मकान को ध्वस्त करनें तथा हमें हमारे पुस्तैनी मकान से बेदखल करने की धमकी दी तब जाकर अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी प्राप्त करने पर तथा दिनांक 25.04.2025 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर इस तमाम कार्यवाही की जानकारी हमें हुई हैं तथा इस जानकारी से हमारे द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की गई हैं। अपील विलम्ब से पेश करने का कारण दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र में दर्ज किया हुआ हैं तथा इस प्रार्थना–पत्र के समर्थन में हमारे द्वारा शपथ–पत्र पेश किया गया हैं,इसलिए अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार फरमायी जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध पारित निर्णय दिनांक 29.04.2024 को अपास्त किया जावें।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि हमारा जहॉ मकान बना हुआ हैं वह जमीन गोचर की भूमि नहीं हैं एवं न ही गोचर के उपयोग में यह भूमि आ रही हैं। हमारे मकान के आस–पास अनेकों मकान बने हुऐ हैं एवं इन मकानों में कईयों के रहवास बने हुए हैं। पटवारी हल्का ने मौका पर जाकर किसी प्रकार का नाप–चौप नहीं किया हैं एवं न ही उनकी रिपोर्ट में कोई नाप–चौप दर्ज किया गया हैं केवल अपीलांट से अदावत रखने वाले लोगों के बहकावें में एवं दबाब बनाने की नियत से यह झूठी रिपोर्ट तैयार की गई हैं। वास्तविकता तो यह हैं कि अपीलांट का कब्जा सुदा स्वामित्व की जायगा प्लॉट जो कि खसरा नम्बर 244/1 में हैं उस प्लॉट पर भीखाराम कुम्हार निवासी–सोमणा वाले ने नाजायज पुख्ता कब्जा करने का प्रयास किये जाने पर अपीलांट द्वारा उसकी शिकायत तहसीलदार,डेह को पेश की थी इसलिए उसी ने दबाब बनाने के लिए राजस्व कार्मिको से मिलीभगत करके यह रिपोर्ट पटवारी हल्का से तैयार करवायी जाकर पेश की है,जो रिपोर्ट झूठी एवं एक पक्षीय तैयार की गई हैं तथा इस प्रकार की रिपोर्ट पर हमें सुने बिना,हमारा जबाब लिये बिना तथा पत्रावली पर पूर्ण साक्ष्य लिए बिना मात्र एक पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमारे विरूद्ध जो निर्णय दिनांक 29.04.2024 को पारित किया गया हैं उसे निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि प्रश्नगत जायगा एवं उस पर बने मकान में रहते हुऐ समय–समय पर सरकारी योजना अनुसार सर्वे होकर अपीलांट के दस्तावेजात सरकारी विभागों द्वारा बनाये गये हैं तथा यह सब ग्राम पंचायत की जानकारी में रहा हैं, ऐसे में यदि गै0मु0 गोचर के किसी भाग पर कब्जा/अतिक्रमण होता तो बहुत पहले ही ऐसी कार्यवाही हो सकती थी परन्तु अब ऐसी कार्यवाही करना स्पष्ट रूप से यह प्रकट करता हैं कि पटवारी,तहसीलदार वगैरा ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सारी मिथ्या कार्यवाही हमारे विरूद्ध पेश की हैं तथा इस कार्यवाही के आधार पर हमे हमारे जायगा से बेदखल कर दिया गया तो हमें अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमारे विरूद्ध विधि विरूद्ध पारित किया गया निर्णय दिनांक 29.04.2024 निरस्त फरमाया जावें।

(ब)–राजपैरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुऐ निर्णय दिनांक 29.04.2024 को पारित किया हैं तथा इस निर्णय की जानकारी अपीलांट को शुरू से होते हुवे भी यह अपील निर्धारित समय अवधि में पेश नहीं की हैं तथा बेदखली से बचने के लिए प्रार्थना–पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में झूठे तथ्य दर्ज करते हुवे अपील को मयाद में लिए जाने का निवेदन किया हैं जो कतई साबित नहीं हैं। निर्णय से एक वर्ष बाद यह अपील बिना कोई आधार के पेश की हैं जो मयाद में नहीं होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का अपील की बहस में कथन हैं कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण रिपोर्ट में खसरा नम्बर 239 भूमि किस्म गै0मु0 गोचर अंकित किया हैं। गोचर भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में आवंटन से वर्जित भूमि होने से इस

कलक्टर नागौर

प्रकार की भूमि पर बने निर्माण को किसी प्रकार से वैध नहीं माना जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस गैर सायल को भेजे जाने पर गैर सायल ने नोटिस लेने से इन्कार किया हैं जिसकी तस्दीक दो गवाहों ने की हैं,इसलिए गैर सायल को प्रकरण में सुनवाई एवं जबाब का अवसर देते हुए बावजूद जानकारी एवं पर्याप्त तामिल के जानबूझकर कोई जबाब पेश नहीं किया इसलिए माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का गै0मु0 गोचर की भूमि पर कब्जा कर जरिऐ मकान व बाड़ा अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली एवं जुर्माना के आदेश जारी किये हैं जिसमें माननीय न्यायालय ने कानूनी भूल या गलती नहीं की हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2024 यथावत् रखा जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने से अपील अपीलांट दिनांक 05.05.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं,जबकि अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण में निर्णय दिनांक 29.04.2024 को पारित किया गया हैं। अपीलांट ने अपील विलम्ब से पेश करने का कारण अपने प्रार्थना–पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में अंकित कर प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र भी पेश किया हैं। इसलिए शपथ–पत्र के आधार पर अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के प्राप्त रिकार्ड के अवलोकन से पटवारी हल्का सोमणा एवं भू0अभिलेख निरीक्षक,डेह ने तहसीलदार,डेह को इस आशय की रिपोर्ट पेश की हैं कि ग्राम सोमणा के खसरा नम्बर 239 रकबा 0.072 हैं0 किस्म भूमि गै0मु0 गोचर पर श्री कन्हैयालाल जांगिड़ पुत्र श्री रामकरण कौम खाति निवासी–सोमणा द्वारा सम्वत् 2080 में जरिये पक्का मकान व बाड़ा के नाजायज कब्जा कर लिया हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार,डेह में प्रकरण संख्या 20/2024 दिनांक 13.03.2024 को अपीलांट के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये हैं तथा दिनांक 29.04.2024 को आदेशिका में इस आशय का अंकन किया गया हैं कि गैर सायल को जारी नोटिस प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल रहे। गैर सायल सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए जबाब एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात की संक्षिप्त(सरसरी) जांच उपरान्त गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल करने तथा लगान का 50गुणा जुर्माना लगाया जाता हैं।

न्यायालय द्वारा जारी गैर सायल के नोटिस के अवलोकन से नोटिस गैर सायल द्वारा लेने से मना किया कि रिपोर्ट हैं तथा गवाह स्वरूप दो गवाहों के हस्ताक्षर पटवारी हल्का के हस्ताक्षरों से प्रमाणित हैं। इस प्रकार इस प्रकरण में यह नहीं कहा जा सकता हैं कि गैर सायल की तामिल पर्याप्त नहीं करवायी गई हैं। द्वितीय में इस अपील में अपीलांट का यह तर्क रहा हैं कि उनके मकान व बाड़ा पुस्तैनी भूमि पर बने हुवे तथा उन पर उनको शुरू से स्वामित्व प्राप्त हैं। पत्रावली के अवलोकन से खसरा नम्बर 239 पर गैर सायल का अतिक्रमण साबित होने पर उनको अतिक्रमी मानते हुवे बेदखली एवं जुर्माना का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया हैं। पटवारी हल्का एवं भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत टी0पी0 रिपोर्ट में खसरा नम्बर 239 ग्राम सोमणा की किस्म गै0मु0 गोचर दर्ज हैं। खसरा नम्बर 239 गै0मु0 गोचर की भूमि पर अपीलांट को किसी प्रकार का स्वामित्व हो के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज न तो अपीलांटन ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया हैं एवं न ही अपील के साथ ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड दस्तावेज पेश किया गया हैं,जिससे से प्रकट होता हो कि खसरा नम्बर 239 गै0मु0 गोचर उनके स्वामित्व की आराजी हो। प्रस्तुत प्रकरण अनुसार अपीलांट द्वारा गै0मु0 गोचर की भूमि पर अतिचार किया हैं,जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय

कलक्टर नागौर

द्वारा अपीलांट को बेदखली एवं जुर्माना से दण्डित कर निर्णय दिनांक 29.04.2024 पारित किया गया हैं,जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट सारहीन होने से तथा खारिज योग्य होने से खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2024 यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का असल रिकार्ड मय निर्णय की प्रति के पुनः लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर

कलक्टर नागौर